इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 611] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2010—अग्रहायण 5, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. 25086-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 29 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को पुर: स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१०

मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, २०१०

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति.

४. प्रत्येक फल-पौध रोपणी का स्वामी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.

५. अनुज्ञप्ति दी जाने और उसके नवीकरण के लिये आवेदन.

६. अनुज्ञप्तिधारक के कर्तव्य.

७. राज्य सरकार की कतिपय फल-पौधों के आयात, निर्यात या परिवहन को विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.

८. अनुज्ञप्तियों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति.

९. अनुज्ञप्ति की वापसी.

१०. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति.

११. अपील.

१२. पुनरीक्षण.

१३. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.

१४. शास्तियां.

१५. कम्पनियों द्वारा अपराध.

१६. अपराध का संज्ञान.

१७. न्यायालय की अधिकारिता.

१८. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों का लोक सेवक होना.

१९. सद्भावपूर्वक की गई कर्रवाई का संरक्षण.

२०. प्रत्यायोजित करने की शक्ति.

२१. नियम बनाने की शक्ति.

२२. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१०

मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश राज्य में फल-पौध रोपणियों के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए तथा उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, २०१० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ;

(ख) ''फल-पौध'' से अभिप्रेत है कोई पौधा जो खाने योग्य फल या नट पैदा कर सकता हो और इसमें किसी ऐसे पौधे की बडबुड, नवोदलीय (सीडलिंग), कलम, लेयर, बीज, कंद (बल्ब), चूषक, प्रकन्द (राइजोम) और कतरन (कटिंग) सम्मिलित हैं ;

(ग) ''फल-पौध रोपणी'' से अभिप्रेत है, कोई स्थान, जहां कारबार के नियमित अनुक्रम में फल पौध प्रवर्धित किए जाते हैं और रोपने के लिए बेचे जाते हैं;

(घ) फल-पौध रोपणी के संबंध में ''स्वामी'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, जिसका ऐसी फल-पौध रोपणी के ऐसे कार्यकलापों पर पूर्ण नियंत्रण हो और जहां उक्त कार्यकलाप किसी प्रबंधक, प्रबंध संचालक या प्रबंध अभिकर्ता को सौंपे जाते हैं वहां ऐसे प्रबंधक, प्रबंध संचालक या प्रबंध अभिकर्ता को फल-पौध रोपणी का स्वामी समझा जाएगा;

(ङ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(च) ''प्रकन्द (रूटस्टाक)'' से अभिप्रेत है, ऐसा फल-पौध या उसका कोई भाग, जिस पर फल-पौध का कोई भाग कलम करके बांधा गया है या मुकुलित हुआ है;

(छ) ''कलम (साइअन)'' से अभिप्रेत है, किसी फल-पौध का वह भाग जो किसी रूटस्टाक पर कलम करके बांधा गया है या मुकुलित हुआ है.

सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति.

३. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारियों के रूप में, जैसा कि वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी; और

(ख) उन सीमाओं को परिभाषित कर सकेगी, जिसके भीतर सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा.

प्रत्येक फल-पौध रोपणी का स्वामी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.

४. फल-पौध रोपणी का कोई भी स्वामी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से छह मास के अवसान के पश्चात् या उस तारीख से जिसको कि वह ऐसी फल-पौध रोपणी का प्रथम बार स्वामी हो गया हो, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करके और उसके अनुसार ही फल-पौध रोपणी का कारोबार संचालित करेगा या चलाएगा, अन्यथा नहीं.

स्पष्टीकरण.—जहां किसी स्वामी के पास या तो उसी नगर या ग्राम में या भिन्न-भिन्न नगरों या ग्रामों में एक से अधिक फल-पौध रोपणी हैं, वहां वह ऐसी प्रत्येक फल-पौध रोपणी के संबंध में पृथक्-पृथक् अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.

अनुज्ञप्ति दी जाने और उसके नवीकरण के लिये आवेदन.

५. (१) पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का इच्छुक कोई स्वामी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में और ऐसी अनुज्ञप्ति फीस के साथ, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विहित की जाए सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आवेदन करेगा.

(२) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि —

(क) जिस फल-पौध रोपणी के संबंध में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, वह फल-पौध का समुचित रूप से प्रवर्धन करने के लिए उपयुक्त है;

(ख) आवेदक ऐसी फल-पौध रोपणी का प्रबंधन करने के लिए सक्षम है;

(ग) आवेदक ने विहित अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान कर दिया है; और

(घ) आवेदक ऐसी अन्य शर्तों की, जो कि विहित की जाएं, जो प्रवर्धन किए जाने वाले पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें उचित मूल्य पर विक्रय करने से संबंधित हों, पूर्ति करता है या पूर्ति करने के लिए वचन देता है,

तो सक्षम प्राधिकारी एक मास के भीतर निरीक्षण पूर्ण करने के पश्चात्, आवेदक को अनुज्ञप्ति देगा और यदि सक्षम प्राधिकारी का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और इंकार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर सकेगा और ऐसे विवरण की एक प्रति आवेदक को देगा.

(३) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विधिमान्य होगी और आवेदन किए जाने पर ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी फीस का भुगतान किए जाने पर तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी कि विहित की जाएं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, नवीकृत की जा सकेगी और जहां सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करता है, वहां वह ऐसे इंकार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति आवेदक को देगा :

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता.

अनुज्ञप्तिधारक के कर्तव्य.

६. इस अधिनियमके अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक —

(क) कलम या प्रकन्द (साइअन या रूटस्टाक) के संबंध में अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट फल-पौध की केवल ऐसी किस्मों का प्रवर्धन और विक्रय के लिए उपयोग करने का वचन देगा, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित की जाएं;

(ख) वह प्रत्येक प्रकन्द (रूटस्टाक) और प्रत्येक कलम (साइअन) के उद्‌गम या स्त्रोत का सम्पूर्ण अभिलेख, निम्नलिखित दर्शित करते हुए रखेगा,—

(एक) प्रयुक्त किए गए प्रकन्द (रूटस्टाक) का वानस्पतिक नाम, उसके स्थानीय नाम सहित, यदि कोई हो;

(दो) फल-पौधों को उगाने के उपयोग में लाए गए साइअन वृक्ष का वानस्पतिक नाम, उसके स्थानीय नाम सहित, यदि कोई हो;

(ग) फल-पौधों के प्रवर्धन हेतु प्रयुक्त किए गए रोपणी भूखण्डों के साथ मूल वृक्षों को कीटों, नाशक जीवों तथा पौधों को होने वाली बीमारियों से मुक्त रखेगा;

(घ) फल-पौधों को ऐसी रीति में तैयार करने का वचन देगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए;

(ङ) विक्रय के लिए आशयित किसी पैकेज में संलग्न किए गए फल-पौधों की प्रत्येक किस्म के नाम का लेबल जिसमें प्रत्येक ऐसे फल-पौधों के कलम (साइअन) के नाम के साथ उसकी आयु और प्रकन्द (रूटस्टाक) के नाम विहित रीति में अवधारित हों, सहजदृश्य रीति में विनिर्दिष्ट करेगा;

(च) केवल ऐसे फल-पौधों को ही विक्रय या वितरण के लिए उन्मोचित करने का वचन देगा जो कीटों, नाशक जीवों या पौधों को होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी से पूर्णत: मुक्त हों;

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति को विक्रय किये गये फल-पौध का नाम, उसकी आयु, प्रकन्द (रूटस्टाक) तथा कलम (साइअन) का नाम और उसको क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता दर्शाया जाएगा;

राज्य सरकार की कतिपय फल-पौधों के आयात, निर्यात या परिवहन को विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.

७. राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाए गए किन्हीं फल-पौधों की गुणवत्ता बनाए रखने या उन्हें हानिकारक कीटों, नाशक जीवों या फल-पौधों को होने वाली बीमारियों से संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अज्ञात वंशावली के या किसी संक्रामक या सांसर्गिक कीटों या बीमारी से प्रभावित किन्हीं फल-पौधों को, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि अधिरोपित की जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित कस्टम सीमान्त क्षेत्र के उस पार से भिन्न किसी राज्य या उसके किसी भाग में लाने या उससे बाहर ले जाने को या राज्य के भीतर परिवहन को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी.

अनुज्ञप्तियों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति.

८.(१) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन दी गई या नवीकृत की गई कोई अनुज्ञप्ति, निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर निलंबित या रद्द कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) यह कि उसने फल-पौध रोपणी पर उसके नियंत्रण को पूर्णत: या अंशत: हटा लिया है या ऐसी फल-पौध रोपणी को संचालित या धारित करना अन्यथा छोड़ दिया है;

(ख) यह कि जहां राज्य सरकार द्वारा, किन्हीं फल-पौधों की किसी किस्म की अधिकतम दर या मूल्य, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत कर दी गई हो वहां उसने ऐसे किसी फल-पौध को उच्चतर दर या मूल्य पर विक्रय किया है;

(ग) यह कि वह बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों तथा शर्तों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहा है या उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(घ) विहित किए गए किसी अन्य आधार पर.

(२) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति के संबंध में रद्दकरण आदेश पारित किए जाने तक अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (१) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को, वे आधार सूचित करेगा जिन पर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है तथा उसे ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कारण बतलाने का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(४) उपधारा (१) या (२) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल प्रदान की जाएगी.

अनुज्ञप्ति की वापसी.

९. अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट वैधता की कालावधि की समाप्ति पर या अनुज्ञप्ति के निलंबित या रद्द किए जाने के आदेश की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति वापस करेगा.

परन्तु ऐसा प्राधिकारी,ऐसी समाप्ति, निलंबन या रद्दकरण के पश्चात्, स्वामी को उसकी फल-पौध रोपणी के परिसमापन के लिए ऐसा युक्तियुक्त समय देगा, जैसा कि वह उचित समझे.

अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति.

१०. यदि किसी स्वामी की मंजूर की गई अनुज्ञप्ति गुम हो गई है, नष्ट हो गई है, फट गई है या खराब हो गई है, तो सक्षम प्राधिकारी, आवेदन करने और विहित फीस का भुगतान करने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा.

अपील.

११.(१) सक्षम प्राधिकारी के, अनुज्ञप्ति देने या अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे प्रारूप और रीति में, ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसे प्राधिकारी को जैसा कि विहित किया जाए, अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी, विहित कालावधि का अवसान होने पर भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से प्रविरत रहा था.

(२) अपील प्राधिकारी, उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे.

(३) इस धारा के अधीन पारित आदेश, धारा १२ के अधीन पुनरीक्षण के विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा.

पुनरीक्षण.

१२. (१) राज्य सरकार, अपील में किए गये किसी आदेश के विरूद्ध किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध और अपील में आदेश के विरूद्ध भी, स्वप्रेरणा से किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगी तथा उसका परीक्षण कर सकेगी और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार, इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति का, ऐसे आदेश के संबंध में, जिसके विरूद्ध अपील लंबित है, प्रयोग नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश जो किसी व्यक्ति को प्रतिकूलत: प्रभावित करता हो तब तक पारित नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(२) इस धारा के अधीन पारित किया गया आदेश अंतिम होगा.

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.

१३. (१) किसी भी फल-पौध रोपणी की स्थिति अभिनिश्चित करने या उसके कार्यकरण का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिये या कारोबार के उस स्थान की जहां फल-पौध का विक्रय किया जाता है या इस अधिनियम

या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लेखित किसी अन्य प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह समस्त युक्तियुक्त समय पर और सहायकों के साथ या उनके बिना—

(क) किसी भी फल-पौध रोपणी या कारोबार के उस स्थान में, जहां फल-पौधों का विक्रय किया जाता हो, प्रवेश करे और वहां उपलब्ध फल-पौधों का निरीक्षण या परीक्षण करे;

(ख) ऐसी फल-पौध रोपणी या कारोबार के ऐसे स्थान से संबंधित लेखा-पुस्तकों, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने का आदेश दे और ऐसे दस्तावेज के संक्षेप या उसकी प्रतियां प्राप्त करे या प्राप्त करवायें;

(ग) ऐसी रोपणी के संबंध में नियंत्रण रखने वाले या उसमें नियोजित किसी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछे और उसका परीक्षण करे.

(२) अनुज्ञप्तिधारी या ऐसी रोपणी या कारोबार के ऐसे स्थान के संबंध में नियोजित समस्त व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण और परीक्षण के लिये समस्त युक्तियुक्त पहुंच और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जैसी की पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित हों तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के आधार पर समस्त प्रश्नों के उत्तर देने के लिये तथा फल-पौध रोपणी या कारोबार के स्थान, जहां फल-पौधों का विक्रय किया जाता है, के संबंध में उनके कब्जे में के दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिये आबद्ध होंगे, जैसी कि ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा अपेक्षित की जाए.

शास्तियां.

१४. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके अधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिनका कि उल्लंघन इस धारा के अधीन दण्डनीय बनाया गया है; या

(ख) किसी अधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में या उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का अनुपालन करने में बाधा उत्पन्न करता है, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.

कम्पनियों द्वारा अपराध.

१५. (१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिये उस कंपनी का भारसाधक था और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध की दोषी समझी जाएगी और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिये भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी.

(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उनकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां कंपनी का ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित किए जाने का भागी होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए.—

(क) ''कंपनी'' से अभिप्रेत है, कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है;

(ख) किसी फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से अभिप्रेत है, फर्म का कोई भागीदार.

अपराध का संज्ञान.

१६. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, ऐसा अपराध घटित करने वाले तथ्यों के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर ही करेगा, अन्यथा नहीं.

न्यायालय की अधिकारिता.

१७. प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों का लोक सेवक होना.

१८. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए समस्त अधिकारियों और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपी गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१९. राज्य सरकार या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्ही भी नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो, या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

प्रत्यायोजित करने की शक्ति.

२०. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग या ऐसे कर्तव्य का पालन जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा राज्य सरकार को (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) प्रदत्त की गई हो या उस पर अधिरोपित किए गए हों, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जाएगा.

नियम बनाने की शक्ति.

२१. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने का प्रारूप और रीति, ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए फीस और उसका नवीकरण, वह कालावधि जिसके लिए और वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए और वह प्ररूप जिसमें धारा ५ के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी;

(ख) ऐसे अन्य आधार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिनके उल्लंघन से, धारा ८ के अधीन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण आवश्यक हो जाएगा;

(ग) धारा १० के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के बाबत् देय फीस;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें, वह कालावधि जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको धारा ११ के अधीन अपील की जा सकेगी और अपील का निपटारा करने में अपील प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया गया हो या जो विहित किया जाए.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी भी नियम में यह उपबंध हो सकेगा कि उसका उल्लंघन धारा १४ के अधीन दण्डनीय होगा.

(३) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा.

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

२२. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन ने अधिक मात्रा में गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री प्रदाय किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है. अतएव, राज्य को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि उत्पादकों को केवल अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री ही उपलब्ध कराई जाए, कोई प्रणाली विकसित करना चाहिए. नाशी जीव के प्रभाव का पता लगाने और गुणवत्ता वाले प्रकन्द (रूटस्टाक) और कलम (साइअन) सामग्री का अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को विकसित करना अपेक्षित है. पौध रोपणियों द्वारा विषाणुओं को सूचीबद्ध करने की प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य के पास पौध रोपणियों को विनियमित करने के लिये कोई अधिनियम नहीं है. अतएव समुचित विधि अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २२ नवम्बर, २०१०.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १ – अधिनियम को प्रवृत्त करने की तिथि अधिसूचित करने बाबत्;

खण्ड ३ – सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति एवं अधिरोपित कर्तव्यों के पालन किये जाने;

खण्ड ४ – फल-पौध रोपणी का कारोबार संचालित करने हेतु इस अधिनियम और उसके अधीन नियमों के उपबन्धों के संबंध में;

खण्ड-५ – फल-पौध रोपणी स्वामी को अनुज्ञप्ति दिये जाने और उनके नवीकरण हेतु फीस का निर्धारण किये जाने;

खण्ड-७ – फल-पौधों के आयात, निर्यात या परिवहन को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने;

खण्ड-८-(ख) – फल-पौधों की किस्म की अधिकतम दर या मूल्य राजपत्र में अधिसूचित करने;

खण्ड-९ – अनुज्ञप्ति की वापसी पूर्व ऐसी समाप्ति, निलंबन या रद्दकरण के पश्चात् स्वामी को उसकी फल-पौध रोपणी के परिसमापन के लिये युक्तियुक्त समय का निर्धारण किये जाने;

खण्ड-१० – उक्त अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिये विहित फीस निर्धारित करने;

खण्ड-११ – अपील हेतु प्रारूप, रीति और कालावधि सुनिश्चित किये जाने;

खण्ड-१३ – फल-पौध रोपणी या कारोबार के स्थान में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया नियत किये जाने;

खण्ड-२० – अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को सुनिश्चित किये जाने; तथा

खण्ड-२१ – अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु;

के संबंध में प्रत्यायोजन किया गया है, जो सामान्य स्वरूप का है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.